#### <u>ःन्यायालय, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 भिण्ड, जिला—भिण्ड (म.प्र.)ः</u> (समक्ष— धनराज दुबेला)

<u>व्यवहार वाद प्रकरण कमांक— 92ए / 2016 इ.दी.</u> <u>फाइलिंग नंबर— 101790 / 2016</u> <u>संस्थित दिनांक— 30.06.2016</u>

सुरेश नारायण शर्मा पुत्र रामभरोसे लाल, आयु— 67 साल, निवासी— खिड़कियां मौहल्ला, वार्ड क. 27, भिण्ड म०प्र० .....वादी / आवेदक

# विरुद्ध

- ्रिजितेन्द्र सिंह आयु— लगभग 38 साल,
- 2. योगेश सिंह, आयु— लगभग 36 साल, दोनों पुत्रगण हवलदार सिंह ठाकुर, निवासी— चतुर्वेदी नगर, भिण्ड म०प्र०
- अरविंद अरेले पुत्र रामेश्वर दयाल अरेले, आयु— 45 साल, निवासी— पुरानी बस्ती, भिण्ड म0प्र0
- 4. शुभनेश चौधरी पुत्र मुरारीलाल चौधरी, आयु— 30 साल, निवासीगण सदर बाजार, विनेय पेंट की दुकान के पास, भिण्ड म0प्र0 ......पितवादीगण/अनावेदकगण

### -:: आदेश ::-

### { दिनांक 28.11.2016 को पारित}

- 1. इस आदेश द्वारा वादी / आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।
- वादी / आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी / आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की आराजी क. 2355 रकवा 0.157 हैक्टेयर स्थित शहर भिण्ड, जिसका वादी रिकार्डेड भूमि स्वामी है, उक्त भूमि को वादी ने जर्ये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 10.01.1972 को उसके रिकार्डेड भूमि स्वामी पंचम पुत्र गुलजारी लाल से बिल एवज 1500 / – रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। वादी विक्रय पत्र दिनांक 10.01.1972 से उक्त भूमि पर भूमि स्वामी की हैसियत से निरंतर काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि वादी के क्य करने के कुछ काल बाद नगरपालिका भिण्ड की सीमा के अंतर्गेत आ गयी है। वर्तमान में उक्त भूमि वार्ड क. 36 में आ गयी है व प्लाटों के रूप में इस्तेमाल हो रही है, जिस पर नगरपालिका के अभिलेख में भी वादी का नाम बहैसियत स्वामी दर्ज है। इस भूमि को क्य करते समय इसकी चतुरसीमा पूरब दिशा में भूमि क. 2348 पश्चिम दिशा में भूमि क.त्र 2489 एवं 2490, उत्तर दिशा में भूमि क. 2357 / 2, 2358 / 2 एवं 2354 तथा दक्षिण दिशा में बंबा बाद में डायवर्सन रोड थी। वादी / आवेदक की भूमि क. 2355 रकवा 157 से लगी हुई उत्तर दिशा की ओर भूमि क. 2357/2 व 2358/2 शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० भिण्ड के नाम से कॉलोनी की भूमि थी। शिक्षा विभाग गह निर्माण सहकारी समिति की उपरोक्त भूमि के दक्षिण की ओर कॉलोनी के निकलने का कोई रास्ता मौके पर नहीं था इसलिए शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा न्यायालय तहसील के प्र0क0 41/87–88 गुणा अ12 में अधीक्षक भू—अभिलेख द्वारा वादी एवं समिति की सहमति से सीमांकन कराने के पश्चात वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि क. 2355

रकवा 157 हेक्टेयर में से वादपत्र के साथ सेलग्न मानचित्र, जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है, में दर्शित ए,बी,सी,डी उत्तर से दक्षिण 50 फीट लंबी व पुरब से पश्चिम 30 फीट चौडी भूमि केवल रास्ते के उपयोग के लिए जर्ये रिजर्स्ड विक्रय पत्र दिनांक 08.09.1988 की वादी से क्रय की। उक्त क्रय की गयी रास्ते की भूमि की चतुर सीमा पूरब दिशा में वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि क.2355 की जगह, पश्चिम दिशा में भी वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि क. 2355 की जगह, उत्तर दिशा में रास्ता इसी कॉलोनी का व दक्षिण दिशा में बंबा बाद में डायसर्वन रोड है। अर्थात 08.09.1988 को शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वादी से उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि 2355 में से ही रास्ते के लिए उत्तर से दक्षिण 45 फीट लंबी व पूर्व से पश्चिम 30 फीट चौड़ी भूमि रास्ते के उपयोग के लिए क्रय की गयी जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर ई,एफ,जी,एच से बताया गया है। उक्त क्रय की गयी भूमि की चतुरसीमा- पूरब दिशा में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि क.2355 की जगह, पश्चिम दिशा में भूमि क.2355 की वादी की जगह उत्तर में कॉलोनी का रास्ता व दक्षिण दिशा में बंबा बाद में डायवर्सन रोड है। इस प्रकार वादी/आवेदक ने शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति को उपरोक्त दोनों विक्रय पत्रों द्वारा रास्ते के लिए भूमि विक्रय करने के बाद अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि क. 2355 में शेष रही भूमि में से 110 फीट लंबी पूर्व से पश्चिम व 50 फीट चौडी उत्तर से दक्षिण भूमि में वर्ष 1985 में ही आर.सी.सी. के पिलर 3–3 फीट उंचे बुनियाद भरकर डाल दी व बाद में 10–10 फीट उंची ईंट सीमेंट रेत की पक्की बाउण्डीबॉल बनवायी व दक्षिण की ओर दस दुकानें व बीच में लोहे का गेट लगवाया व उत्तर-पूर्वी कोने पर सोलह फीट लंबी पूर्व से पश्चिम व 37 फीट चौड़ी उत्तर से दक्षिण चौडी दीवाल में पश्चिम की ओर टीनशेड डलवाया जो टीनशेड वर्ष 2015 में आंधी में उड गया। उपरोक्त निर्माण शुदा जगह में वादी कर हरकिरमी निस्तार होता है व उसका सामान रखा रहता है।

वादी / आवेदक ने अपने स्वत्व व आधिपत्य की भूमि क. 2355 की भूमि जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में बी,ई,एच,सी. से बताया गया है, में निर्माण कराया है। वादी ने भूमि क. 2355 एवं भूमि क. 2345,2346,2347,2349, 2350,2357 / 2 एवं 2358 / 2 का प्रतिवादीगण के मुकाबिले राजस्व निरीक्षक द्व ारा दिनांक 09.09.2013 एवं कार्यालय अधीक्षक भू अभिलेख से दिनांक 16.09. 2013 को सीमांकन करवाकर सीमा चिन्ह कायम कराये गये। उक्त सीमांकनों में वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में बी,ई,एच,सी, अक्षरों से प्रदर्शित भाग जिसकी चतुरसीमा पूरब दिशा रास्ता जो वादी द्वारा शिक्षा विभाग गृह निर्माण को जर्ये बयनामा विकय किया था तथा पश्चिम दिशा में रास्ता 30 फीट कॉलोनी जिसे वादी ने शिक्षा विभाग गृह निर्माण समिति को जर्ये बयनामा विक्रय किया था, उत्तर दिशा में पवन जैन व राजेश्वरी चौधरी का मकान तथा दक्षिण दिशा में बंबा बाद में डायवर्सन रोड है, में हुये निर्माण को वादी के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि क. 2355 में ही निर्माण होना पाया गया। प्रतिवादीगण क.1,2,3,4 शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्य नहीं है। प्रतिवादी क.3 व 4 द्वारा प्रतिवादी क.1 व 2 को किये गये विकय पत्र दिनांक 04.05.2013 में जिस्र प्लाट क.8 का उल्लेख किया गया है उस संबंध में शिक्षा विभाग गृह निर्माण समिति का टाउन एवं कंट्री प्लानिंग का कोई स्वीकृत नक्शा भी विक्रय पत्र के साथ संलग्न नहीं है और न समिति का कॉलोनाईजर का कोई लाइसेंस है। शिक्षा गृह निर्माण समिति का प्र०क० 1554 / 25.06.2009 द्वारा परिसमापन्न भी किया जा चुका है अर्थात अब शिक्षा

गृह निर्माण समिति असितत्व में नहीं है। समिति पर नगरपालिका / नजूल का कोई स्वीकृत नक्शा भी नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2013 में जिस चतुरसीमा के प्लाट को विकय करने का उल्लेख किया गया है उस चतुरसीमा का कोई प्लाट मौके पर मौजूद नहीं है। प्रतिवादी क. 1 व 2 विक्य पत्र दिनांक 04.05.2013 के आधार पर वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य के भूमि क. 2355 वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर बी,ई,एच,सी निर्मित भाग में अक्षर आई, ई, जे, के भूमि पर कब्जा कर उसे हड़पने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस कारण वादी को अपने स्वत्वों की रक्षार्थ यह आवेदन व वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रतिवादी क. 1 व 2 ने अपनी अनिश्चित जगह जिस पर उसे प्रतिवादी क. 3 व 4 द्वारा कब्जा दिया भी नहीं जा सकता उस जगह को आराजी क. 2347 में मानकर उस पर वर्ष 2013 में निर्माण कार्य भी कराया, किन्त् वह निर्माण कार्य प्रतिवादी क. 1 व 2 ने अधूरा छोड़ दिया जो निर्माण कार्य आज भी मौके पर मौजूद है, जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर एल,एन,ओ,पी, से बताया गया है। शिक्षा विभाग गृह निर्माण समिति के भूमि क. 2357 में 4 विस्वा व 2358 में 5 विस्वा भूमि शासन द्वारा अधिग्रहण की गयी थी जिस अधिग्रहण की गई भूमि का नक्शे में बंटाकंन नहीं हो पाया तथा समिति ने नक्शे के अनुसार प्लाट काट दिये, जबकि भूमि अधिग्रहण हो जाने से नक्शे के आधार पर की गयी प्लाटिंग अवैध है। दिनांक 19.06.2016 को प्रतिवादी क.1 व 2 ने वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर आई,ई,जे,के वादी के स्वत्व की भूमि को हड़पने के लिए अपने साथ असामाजिक तत्वों के सहयोग से लोहे सब्बल, फावड़े, गेथी के साथ जे.सी.बी. मशीन व लेवर लेकर आ गये व विवादित जगह के पास अवैध निर्माण करने के उददेश्य से निर्माण सामिग्री डाल दी। वादी व उसके पुत्र नीरज पाठक तथा वादी के भाई स्व0 जगदीश के पुत्र अनोज पाठक व आशीष पाठक के रोकने पर प्रतिवादी क.1 व 2 गाली-गलौज करने लगे व आतंक के बल पर वादी की बी,ई,एच,सी जगह में लगे लोहे के फाटक को तोड दिया व वादी के परिवार के लोगों की मारपीट की व अवैध कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 19.06.2016 को वादी के पुत्र नीरज पाठक ने पुलिस कोतवाली सिटी में प्रतिवादी क. 1 व 2 के विरुद्ध दर्ज करायी गयी। प्रतिवादी क. 1 व 2 के आतंक पूर्ण रवैये को लेकर किसी भी समय शांतिभंग होकर किसी भी समय मांस-मरी होने की गंभीर संभावना है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादी / आवेदक के पक्ष में है। वादी के पक्ष में उसके स्वत्व का आधार रजिस्टर्ड विक्य पत्र, राजस्व एवं नगर पालिका के इन्द्राज व कब्जे व निर्माण के संबंध में समय-समय पर करायी गई राजस्व अधिकारियों द्वारा सीमाकंन रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज हैं। अतः सुविधा का संतुलन भी वादी / आवेदक के पक्ष में है। मौके पर कब्जा एवं निर्माण एवं हरप्रकार का निस्तार वादी / आवेदक का है। यदि पतिवादी क. 1 व 2 को प्रकरण के लंबनकाल में विवादित जगह में कब्जा करने आदि से न रोका गया तो वे विवादित जगह पर कब्जा कराकर किसी अन्य को अन्तरण कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो वादी/आवेदक को अपूर्णतनीय क्षति होगी। अतः वादी / आवेदक की ओर से यह आवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवादी कृ.1 व 2 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा चाही है कि विवादित भूमि आई,ई,के,जे में बलात कब्जा, अवैध निर्माण एवं उक्त भूमि को अंतरण करने से निषेधित किया जाए तथा यथास्थिति बनाये रखने हेत् अस्थायी निषेधाज्ञा पारित की जाए।

4. अनावेदक / प्रतिवादीगण क.1 व 2 की ओर से वादी / आवेदकगण के आवेदन पत्र का उत्तर प्रस्तुत कर आवेदन पत्र की समस्त कंडिकाओं के तथ्यों

को स्वीकार नहीं किया है व निवेदन किया है कि वादी ने अपने निजी फायदे के लिए मौके पर स्थिति के विपरीत चतुरसीमाओं का उल्लेख स्वयं के द्वारा संपादित विक्य पत्रों में कर भी दिया है तो उससे वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में दर्शित आई,ई,जे,के से दर्शित 30 फीट चौड़ा उत्तर–दक्षिण 🖣 50 फीट लंबा पूर्व–पश्चिम प्लाट का विवाद होना स्वीकार नहीं है। उक्त प्लाट प्रतिवादी क.1 व 2 के तन्हा स्वामित्व व आधिपत्य का है। वह जगह वादी / आवेदक के आराजी क. 2355 का भाग नहीं है। मानचित्र में आराजी के. 2355 की स्थिति को नक्शा अक्स के विपरीत दर्शाया गया है। इस जगह पर वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की होना स्वीकार नहीं है। बादी / आवेदक के द्वारा गृह निर्माण समिति की भूमि में से एक प्लाट रामजीलाल श्रीवास्तव से अपनी पुत्र वधुओं श्रीमती मनोरमा पाठक व उमा पाटक के नाम दिनांक 03.01.2011 को क्रय किया जिसमें वादी ने चतुर सीमाओं का गलत उल्लेख कराया है तथा उसका कोई प्लाट क्रमांक बयनामे में उल्लेख नहीं है। जिन रामजीलाल श्रीवास्तव से वादी ने अपनी पुत्रवधुओं के नाम विकय पत्र संपादित कराया है उन रामजीलाल ने किशनलाल श्रीवास्तव से प्लाट क.3 दिनांक 18.10.1995 को क्रय किया था जिसकी चतुरसीमाएं भिन्न है। विवादित भूमि पर वादी/आवेदक का कब्जा नहीं है। वादी / आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद नहीं है। सुविधा का संतुलन भी वादी/आवेदक के पक्ष में नहीं है। वादी/आवेदक को किसी भी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नहीं है। अतः वादी/आवेदक का आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किया जाए।

- 5. वादी/आवेदकगण की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र नीरज पाठक, शपथ पत्र श्यामकुमार उर्फ बटकन एवं अशोक शर्मा के प्रस्तुत किये हैं व सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। प्रतिवादी क.1 व 2 की ओर से अपने जबाव के समर्थन में योगेन्द्र सिंह का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है व सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये, जिनका अवलोकन किया गया।
- 6. विचारणीय प्रश्न यह हैं कि,:--
  - (अ) क्या वादी / आवेदक का यह प्रथम दृष्ट्या वाद है ?
  - (ब) क्या सुविधा का संतुलन वादी / आवेदक के पक्ष में है ?
  - (स) क्या वादी/आवेदक के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित नहीं की गयी तो वादी/आवेदक को अपूर्णतनीय क्षति होगी ?
    - —: : विचारणीय प्रश्न कु.अ पर निष्कर्ष : :--
- 7. इस संबंध में वादी/आवेदक की ओर से अपने वादपत्र, आवेदन पत्र में यह अभिकथन किया है कि उसके स्वत्व व आधिपत्य की आराजी क. 2355 रकवा 0.157 हैक्टेयर शहर भिण्ड में स्थित है, जिसका वादी रिकार्डेड भूमि स्वामी है। उक्त भूमि वादी/आवेदक ने जर्ये रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10. 01.1972 को उसके रिकार्डेड भूमि स्वामी पंचम पुत्र गुलजारी लाल से बिल एवज 1500/— रूपये में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। विक्रय पत्र दिनांक 10.01.1972 से उक्त भूमि पर वादी/आवेदक भूमि स्वामी की हैसियत से निरंतर काबिज चला आ रहा है। उक्त भूमि वादी के क्रय करने के कुछ काल बाद नगरपालिका भिण्ड की सीमा के अंतर्गत आ गयी है। वर्तमान में उक्त भूमि वार्ड क्र. 36 में आ गयी है व प्लाटों के रूप में इस्तेमाल हो रही है, जिस पर नगरपालिका के अभिलेख में भी वादी का नाम बहैसियत स्वामी दर्ज है।

क्य करते समय उसकी भूमि की चतुरसीमा पूरब दिशा में भूमि क. 2348 पश्चिम दिशा में भूमि क. 2489 एवं 2490/ उत्तर दिशा में भूमि क. 2357/2, 2358 / 2 एवं 2354 तथा दक्षिण दिशा में बंबा बाद में डायवर्सन रोड थी। वादी / आवेदक की भूमि से लगी हुई उत्तर दिशा की ओर शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या० भिण्ड के नाम से कॉलोनी की भूमि थी। शिक्षा विभाग गह निर्माण सहकारी समिति की उपरोक्त भूमि के दक्षिण की ओर कॉलोनी के निकलने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा तहसीलदार भू-अभिलेख व वादी एवं समिति की सहमति से सीमांकन कराने के पश्चात् वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि क. 2355 रकवा 157 हेक्टेयर में से वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र, जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है, में दर्शित ए,बी,सी,डी उत्तर से दक्षिण 50 फीट लंबी व पूरब से पश्चिम 30 फीट चौडी भूमि केवल रास्ते के उपयोग के लिए जर्ये रजिस्टर्ड विक्य पत्र दिनांक 08.09.1988 को वादी से क्य की। इसी दिनांक अर्थात 08.09.1988 को शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वादी से उसके स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि 2355 में से ही रास्ते के लिए उत्तर से दक्षिण 45 फीट लंबी व पूर्व से पश्चिम 30 फीट चौड़ी भूमि रास्ते के उपयोग के लिए क्य की गयी जिसे वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर ई,एफ,जी,एच से बताया गया है। उक्त क्रय की गयी भूमि की चतुरसीमा– पूरब दिशा में वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि क.2355 की जगह, पश्चिम दिशा में भूमि क.2355 की वादी की जगह, उत्तर में कॉलोनी का रास्ता व दक्षिण दिशा में बंबा बाद में डायवर्सन रोड है।

वादी / आवेदक की ओर से अपने आवेदन पत्र में यह भी अभिवचन किया गया है कि शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति को उपरोक्त दोनों विकय पत्रों द्वारा रास्ते के लिए भूमि विकय करने के बाद अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि क. 2355 में शेष रही भूमि में से 110 फीट लंबी पूर्व से पश्चिम व 50 फींट चौडी उत्तर से दक्षिण भूमि में वर्ष 1985 में ही आर.सी.सी. के पिलर 3–3 फीट उंचे बुनियाद भरकर डाल दी व बाद में 10–10 फीट उंची ईंट सीमेंट रेत की पक्की बाउण्डीबॉल बनवायी व दक्षिण की ओर दस दुकानें व बीच में लोहे का गेट लगवाया व उत्तर-पूर्वी कोने पर सोलह फीट लंबी पूर्व से पश्चिम व 37 फीट चौड़ी उत्तर से दक्षिण चौड़ी दीवाल में पश्चिम की ओर टीनशेड डलवाया जो टीनशेड वर्ष 2015 में आंधी में उड गया। उपरोक्त निर्माण शुदा जगह में वादी कर हरकिस्मी निस्तार होता है व उसका सामान रखा रहता है। वादी/आवेदक की ओर से उपरोक्त निर्माण को वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में बी,ई,एच,सी. से बताया गया है। इसी भूमि में से वादी द्वारा शिक्षा विभाग गृह निर्माण को जुर्ये बयनामा विक्रय किया था तथा पश्चिम दिशा में रास्ता 30 फीट कॉलोनी जिसे वादी ने शिक्षा विभाग गृह निर्माण समिति को जर्ये बयनामा विकय किया था, का विवाद है। प्रतिवादीगण क. 1,2,3,4 शिक्षा विभाग गृह निर्माण सहकारी समिति के सदस्य नहीं है। प्रतिवादी क.3 व 4 द्वारा प्रतिवादी क.1 व 2 को किये गये विकय पत्र दिनांक 04.05. 2013 में जिस प्लाट क.8 का उल्लेख किया गया है उस संबंध में शिक्षा विभाग गृह निर्माण समिति का टाउन एवं कंट्री प्लानिंग का कोई स्वीकृत नक्शा भी विकय पत्र के साथ संलग्न नहीं है और न समिति का कॉलोनाई जर का कोई लाइसेंस है। शिक्षा गृह निर्माण समिति का प्र0क0 1554/25.06.2009 द्वारा परिसमापन्न भी किया जा चुका है। अतः अब असितत्व में नहीं है। दिनांक 19. 06.2016 को प्रतिवादी क.1 व 2 ने वादपत्र के साथ संलग्न मानचित्र में अक्षर आई,ई,जे,के वादी के स्वत्व की भूमि को हडपने के लिए अपने साथ

असामाजिक तत्वों के सहयोग से लोहे सब्बल, फावड़े, गेथी के साथ जे.सी.बी. मशीन व लेवर लेकर आ गये व विवादित जगह के पास अवैध निर्माण करने के उददेश्य से निर्माण सामिग्री डाल दी। वादी व उसके पुत्र नीरज पाठक तथा वादी के भाई स्व0 जगदीश के पुत्र अनोज पाठक व आशीष पाठक के रोकने पर प्रतिवादी क.1 व 2 गाली—गलौज करने लगे व आतंक के बल पर वादी की बी,ई,एच,सी जगह में लगे लोहे के फाटक को तोड़ दिया व वादी के परिवार के लोगों की मारपीट की व अवैध कब्जा करने का प्रयास किया, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 19.06.2016 को वादी के पुत्र नीरज पाठक ने पुलिस कोतवाली सिटी में प्रतिवादी क. 1 व 2 के विरुद्ध दर्ज करायी गयी। प्रतिवादी क. 1 व 2 के आतंक पूर्ण रवैये को लेकर किसी भी समय शांतिभंग होकर किसी भी समय मांस—मरी होने की गंभीर संभावना है। इसलिए वादी/आवेदक की ओर से यह वादपत्र एवं आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः वादी/आवेदक का यह प्रथम दृष्टया वाद है।

- 9. इस संबंध में प्रतिवादीगण क. 1 व 2 की ओर से अपने जबाव में यह अभिकथन किया है कि प्रतिवादीगण क. 1 व 2 के प्लाट का विधिवत राजस्व कागजात व नगरपालिका में इन्द्राज है। प्रतिवादीगण क.त्र 1 व 2 अपने प्लाट पर काबिज हैं। वादी का विवादित प्लाट पर कोई कब्जा नहीं है। प्रथम दृष्टयां वाद वादी के पक्ष में नहीं है। इस संबंध में प्रतिवादीगण क. 1 व 2 की ओर से शपथ पत्र योगेन्द्र सिंह का प्रस्तुत किया गया है।
- इस संबंध में वादी / आवेदक की ओर से प्रस्तृत विक्रय पत्र दिनांक 10. 01.1972 खसरा वर्ष 20.11.2012 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नगरपालिका परिषद, भिरण्ड के वर्ष 2000–01 की कर निर्धारण की छायाप्रति, तहसील भिण्ड के कार्यालय भू—अभिलेख का पत्र क. 08.03.2013 फील्ड बुक व पंचनामा दिनांक 07.02.2013 की प्रमाणित प्रतिलिपि, कार्यालय भू—अभिलेख का सीमांकन प्रतिवेदन दिनांक 16.09.2013, रजिस्टर्ड विक्य पत्र जो सुरेश नारायण ने शिक्षा विभाग गृह निर्माण को 50 गुणा 30 फीट रास्ते की जगह के लिए दिनांक 08. 09.1988 को निष्पादित किया गया की प्रमाणित प्रतिलिपि, विक्रय पत्र दिनांक 08.09.1988 की प्रमाणित प्रतिलिपि, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र की मूल प्रति, विवादित विक्रय पत्र जो अरविन्द्र अरेले व शुभनेश चौधरी ने जितेन सिंह व योगेन्द्र सिंह को दिनांक 04.05.2013 को किया की छायाप्रति, एफआईआर जो दिनांक 19.06.2016 को नीरज पाठक द्वारा सिटी कोतवाली भिण्ड में की गयी की छायाप्रति एवं न्यायालय तहसील भिण्ड द्वारा किये गये सीमांकन का पंचनामा दिनांक 05.04.88, पंचनामा दिनांक 12.12.87 एवं फील्ड बुक एवं आदेश पत्रिका दिनांक 15.04.1988 की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी, जिनका परिशीलन किया गया। जिनके परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि वादी / आवेदक वादग्रस्त भूमि जो वादपत्र के साथ आईईजेके है, का रजिस्टर्ड भूमि स्वामी है। वादी आवेदक की ओर से अपने आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र नीरज पाठक, श्यामकुमार बटकन एवं अशोक शर्मा के प्रस्तुत किये गये है, जिनके परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि वादी / आवेदक वादग्रस्त भृमि का स्वामी होकर स्वत्व व आधिपत्यधारी है व वर्तमान में वादी / आवेदक का उक्त भूमि पर कब्जा व आधिपत्य है। प्रतिवादी क.1 व 2 वादग्रस्त भूमि से वादी / आवेदक को बेदखल करना चाहते हैं इसी आधार पर वादी / आवेदक की ओर से यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी/आवेदक के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद की संकल्पना होना परिलक्षित होती है।

### <u>-: : विचारणीय प्रश्न कृ.ब पर निष्कर्ष : :-</u>

वादी / आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि वादी/आवेदक का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व आधिपत्य है। राजस्व अभिलेख व नगरपालिका परिषद के रिकॉर्ड में वादी / आवेदक का नाम स्वत्व व आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है। प्रतिवादीगण क. 1 व 2 विक्य पत्र दिनांक 04.05.2013 के आधार पर वादी / आवेदक को वादग्रस्त भूमि से आधिपत्यच्यूत करना चाहते हैं जो विकय पत्र विकेता अरविन्द्र अरेले व सुरेश चौधरी के द्वारा प्रतिवादीगण क. 1 व 2 के पक्ष में लेखबद्ध किया गया है, जिसकी चतुर सीमा के आधार पर ही प्रतिवादीगण क. 1 व 2 वादी / आवेदक को उसके स्वत्व व आधिपत्य की भूमि से बेदखल करना चाहते हैं। प्रतिवादीगण क. 1 व 2 का क्य किये गये विकय पत्र के आधार पर उसी भूमि पर कब्जा व आधिपत्य रहा हो, ऐसी कोई विश्वसनीय साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रतिवादीगण क.1 व 2 के द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तृत नहीं किये गये हैं। इसके विपरीत वादी / आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज व प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादपत्र के साथ दर्शायी गयी विवादित भूमि जो वादपत्र में आईईजेके के रूप में दर्शायी गयी है, पर वादी / आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य के कब्जे में है। प्रतिवादीगण क. 1 व 2 के द्वारा वादी / आवेदक को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया गया तो वादी/आवेदक को अपूर्णतनीय क्षति होने की संभावना भी है। ऐसी स्थिति में वादी / आवेदक के पक्ष में सुविधा का संतुलन भी होना पाया जाता है।

## -: : विचारणीय प्रश्न क.स पर निष्कर्ष : :-

चूंकि, वादी / आवेदक का प्रथम दृष्टया वाद है। सुविधा का संतुलन भी वादी / आवेदक के पक्ष में है। प्रतिवादीगण क.1 व 2 विक्रय पत्र दिनांक 04.05. 2013 का सहारा लेकर वादी / आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य से बेदखल कर आधिपत्यच्यूत करना चाहते हैं। यदि प्रतिवादीगण क्र. 1 व 2 के द्वारा वादी / आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की विवादित जमीन पर कब्जा कर लिया गया तो वादी / आवेदक को निश्चित रूप से अपूर्णतनीय क्षति होगी। इस संबंध में वादी / आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत श्रीकृष्ण दास अग्रवाल वि० कन्हैयालाल 1993 जेएलजे पृष्ट 354 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपील की गयी डिकी की अंतिमता– अपील फाइल किए जाने पर विलुप्त हो जाती है– संपूर्ण मामला न्यायाधीन हो जाता है। वादी / आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत <u>धनसिंह वि० गंगाबाई व अन्य 1992 रा०नि० पृष्ठ 226</u> प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2– निषेधाज्ञा का अनुतोष– कब इन्कार नहीं किया जाना चाहिए—व्यक्ति का लगभग 23 वर्ष की कालावधि से शांतिमय कब्जा—मामला सारहीन अथवा आकरिमक अधिक्रमण का नहीं– उच्च न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा प्रदान की गयी। वादी / आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत नगरपालिका परिषद, मल्लाजखण्ड वि० हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड आईएलआर (2009) एम.पी.485 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2–अस्थायी व्यादेश– बीस वर्ष के लिए खुली भृमि, प्रतिवादी द्वारा बस स्टेण्ड के निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए पट्टे पर दी गयी– प्रतिवादी ने पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद कब्जा सुपूर्व करने के लिए सूचना पत्र जारों किया- प्रतिवादी को वाद के

विनिश्चय तक वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोका गया। वादी/आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत हरिहर सिंह तथा अन्य वि० जानकी <u>सिंह तथा एक अन्य 1997 राजनित 71</u> प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2-सतत रूप से भूमि स्वामी के रूप में अभिलिखित व्यक्ति- प्रथम दृष्टया उसका मामला बनता है— सुविधा की दृष्टि से उसका पलड़ा भारी है— उसे अपूरणीय क्षति होगी यदि उसके पक्ष में व्यादेश मंजूर नहीं किया जाता है। वादी / आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत डालुराम वि० हीरालाल 1997 रा0नि0 206 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च पास हक के प्रथम दृष्ट्या सबूत, जैसे विक्रय विलेख तथा राजस्व प्रविष्टियां-कब्जे के संबंध में प्रतिवादी की स्वीकृति भी— अस्थायी व्यादेश का हकदार। वादी / आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत मुन्नीबाई वि० कोमल सिंह 1996(1) एम.पी.वीकली नोट 92 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2—विक्रय विलेख तथा राजस्व अभिलेख द्वारा स्थापित—अभिकथित विक्रय के करार के अधीन प्रतिवादी का कभी भी कब्जा नहीं रहा— वादी व्यादेश का हकदार है। वादी/आवेदक की ओर से अपने पक्ष समर्थन में न्याय दृष्टांत रामकली वि० श्रीमती शशि श्रीवास्तव 1997 (2) एम.पी. वीकली नोट 151 प्रस्तुत किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि आदेश 39 नियम 1 व 2— दस्तावेज तथा शपथ पत्रों के आधार पर विवादित भूमि पर वादी का कब्जा पाया गया– प्रथम दुष्टया मामला सिद्ध आदि-अंतरिम व्यादेश की मंजूरी विधिमान्य है।

13. अभिलेख पर वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर व प्रस्तुत न्याय दृष्टांतों के आलोक में वादी/आवेदक, प्रतिवादीगण क. 1 व 2 के विरूद्ध चाही गयी सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में वादी/आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सहपठित धारा 151 व्य०प्र०सं० स्वीकार किया जाता है एवं वादी/आवेदक के पक्ष में व प्रतिवादीगण क. 1 व 2 के विरूद्ध आदेश दिनांक से प्रकरण के अंतिम निराकरण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की जाती है कि प्रतिवादीगण क. 1 व 2, वादी/आवेदक के स्वत्व व आधिपत्य की भूमि में उसके कब्जे में हस्तक्षेप न करें, न कोई निर्माण कार्य करें तथा विवादित जगह को किसी के हक में किसी भी प्रकार का अन्तरण न करें, अर्थात यथास्थिति बनाये रखें।

14. उभयपक्ष प्रकरण के शीघ्र निराकरण में सहयोग कारित करें।

15. इस आदेश का प्रभाव प्रकरण के गुणदोषों के आधार पर निराकरण पर नहीं होगा।

स्थान—सिविल न्यायालय, भिण्ड दिनांक— 28 नवम्बर, 2016 आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

मेरे आलेख पर टंकित

{धनराज दुबेला} प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1 भिण्ड {म.प्र.} (धनराज दुबेला) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1 भिण्ड (म.प्र.) THE REAL PROPERTY OF THE PROPE

ALIMAN PATERA ATTACKAN PATERA PATERA ATTACKAN PATERA PATERA